



केंद्रीय विद्यालय अम्बिकापुर KENDRIYA VIDYALAYA
AMBIKAPUR
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Under Ministry of Education, Govt. of India)
एम. जी. रोड राघवपुरी M.G.Road, Raghawpuri
अम्बिकापुर -497001 (छ. ग.) Ambikapur-497001(Chhattisgarh)

Ph.No.07774-230806, Stn. Code 287CBSE Aff.No.3300013, School Code 03415, KV Code. 1542 Email:ambikapurpurkv@gmail.com Website: www.ambikapur.kvs.ac.in

F.320324/के.वि.अम्बिकापुर/2022-23/

दि. 30.04.2022

कार्यालय आदेश /Office order

के.वि.सं. मुख्यालय ,नई दिल्ली आदेश F.11-55/2000-kvs(vig)/pl/1122-25 दि. 05.03.2019 के संदर्भ में तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित 'आंतरिक शिकायत समिति ' का पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.	नामावली	नामित सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती बीरजा मिश्रा, सहायक आयुक्त के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	केंद्रीय विद्यालय अम्बिकापुर हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना। (प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापक को छोड़कर)
2	गैर सरकारी संगठन सदस्य	डॉ मीरा शुक्ला, अध्यक्ष, मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद सरगुजा	
3	सदस्य	श्रीमती शीला टोप्पो, स्नातकोत्तर शिक्षक के.वि.अम्बिकापुर	
4	सदस्य	श्रीमती रत्ना श्रीवास्तव, प्रथमिक शिक्षक के.वि.अम्बिकापुर	
5	सदस्य	श्रीमती सरिता वर्मा, वि.प्र.स. सदस्य के.वि.अम्बिकापुर	

पीठासीन अधिकारी एवं अन्य सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे। समिति के सदस्य पीठासीन अधिकारी के सहयोग हेतु निम्नलिखित का होना सुनिश्चित करेंगे—

- जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने हेतु गैर सरकारी संगठन के सदस्य एवं अन्य सदस्य सम्बंधित प्राचार्य/के.वि.सं. के सक्षम अधिकारी से समन्वय करें।
- गैर सरकारी संगठन के सदस्य के साथ सन्वय करें तथा यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं और सुविधा प्रदान करें।
- जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दि.26.04.2004 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करते समय एक एन जी ओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
- शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियां/सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

यह आदेश ,पूर्व में जारी संदर्भित आदेशों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

30/04/2022
(एन के. सिन्हा)
प्राचार्य

वितरण-

1. समिति के सदस्य
2. पीठासीन अधिकारी
3. उपायुक्त के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
4. गार्ड फाइल